IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)
Volume 30, Issue 2, Series 1 (February, 2025) 45-51
e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845.
www.iosrjournals.org

महिला सशक्तिकरण का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन

डॉ. रुचि आहूजा
सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, भारतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किशनगढ़बास, जिला खैरथल–तिजारा, राजस्थान

शोध सारांश

किसी भी राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब उस राष्ट्र की सरकार के द्वारा महिलाओं के सर्वांगीण विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाए। महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, स्वास्थ्य, शिक्षा संबंधी सभी तरह की स्थिति में सुधार करना ही किसी भी राष्ट्र की प्रगति को दर्शाता है। इसके लिए खासकर ग्रामीण महिलाओं को जागरूक कर उनका सशक्तिकरण अति आवश्यक है। वर्तमान समय में हम पाते है कि महिलाएँ समस्त कार्यों में आज के समय में भागीदार बन रही है और पुरुष की तुलना में समान कार्य भी करती है। इसके बावजूद पुरुष प्रधान समाज होने के कारण आज भी महिलाओं की योग्यता की सराहना बहुत कम की जाती है। महिला सशक्तिकरण से अभिप्राय महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक स्तर पर आत्मनिर्भर कर सशक्त करने से है। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजी शासन काल में भी स्त्रियाँ सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक एवं राजनीतिक निर्योग्यताओं से ग्रस्त थी । महिलाओं को राजनीति में आगे लाने के लिये उन्हें आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाना होगा। महिलाएँ जहाँ आज अंतरिक्ष तक की यात्रा कर स्वयं को साबित करती है वो महिलाएँ स्वयं को इस पृथ्वी पर वर्तमान समय में असुरक्षित समझकर न तो अकेले सफर में स्वयं को सुरक्षित पाती है। न ही घर से बाहर सुरक्षित होती है न ही घर से बाहर आने जाने के समय उन्हें सुरक्षित महसूस होता है। महिलाएँ घर की चहारदिवारी तक अब सिमट कर नहीं रह गई बल्कि शिक्षा, खेल, राजनीति, साहित्य, व्यवसाय सभी जगह अपनी पहचान को साबित किया है। हमने प्राचीन काल से वर्तमान समय तक में महिलाओं की स्थिति को बदलते हुए पाया है। प्राचीन काल में जहाँ वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी उन्हें समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था उत्तरवैदिक काल आते–आते उनकी स्थिति खराब होती गई। फिर रामायण, महाभारत दो महाकाव्यों में नारी के महानतम व्यक्तित्व के रूप में हमने सीता, कुन्ती, द्रौपदी, गंधारी, अम्बा जैसी महान स्वामिनीयों को जाना जिनका जीवन संघर्षशील था और उन्होंने एक महिला की सहनशील, त्याग और प्रेम, दया की भावना को दर्शाया। बौद्ध काल, जैन ग्रंथ सभी में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। मध्यकाल में भी महिलाओं की स्थिति दयनीय थी बाल–विवाह, सत्ती–प्रथा, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाओं का प्रचलन इस काल में बढ़ गया। स्त्री केवल एक सेविका की भाँति अपने पति के हर बात को मानती है चाहे उसका पति सही हो या गलत। आधुनिक काल में स्त्रियों की दशा में सुधार देखने को मिलता है। भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में भी महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई। लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह जताकर इतिहास में अपने नाम को स्वर्ण अक्षरों से उल्लेखित किया। स्वतंत्रता पूर्व से ही महिलाओं ने महिला स्थिति को सुधारने का प्रयास किया जिसमें सुशीला देवी, दुर्गा देवी, कमलादास गुप्ता, भीकाजी कामा आदि का नाम उल्लेखनीय है। हमारे देश भारत में वर्तमान में भी कई महत्वपूर्ण महिलाएँ हुई जिन्होंने अपनी प्रतिभा से हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी जिसमें कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, एम० सी० मेरीकॉम, मीरा कुमार, सुषमा स्वराज्य, सरोजनी नायडू, द्रोपती मुर्मू, प्रतिभा पाटिल, सुजाता साहु, सानिया मिर्जा, प्रिया झिंगन, कमलादेवी चट्टोपाध्याय आदि हैं, जिन्होंने प्रतिभा के अलग–अलग क्षेत्रों में अपने विलक्षणता को दर्शाया है। अतः प्रस्तुत शोध पत्र में महिला सशक्तिकरण का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया है ।

मुख्य शब्द :– भारतीय समाज में महिलाओं की दशा, वैदिक काल, बोद्ध काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, महिला सशक्तिकरण का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, पंचायती राज एवं नगरीय निकायों में महिला आरक्षण का प्रावधान तथा महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्त होने के वास्तविक आयाम, सुझाव व निष्कर्ष ।

परिचय :–

समाज में नारी की स्थिति जितनी मजबूत होगी, समाज उतना ही विकसित और प्रभावपूर्ण होगा। महिलाएँ समाज की आधी आबादी हैं। महिला सशक्तिकरण से हमारा तात्पर्य, महिलाओं की शिक्षा और स्वतंत्रता के साथ–साथ उन्हें समाज के राजनैतिक और सामाजिक सभी क्षेत्रों में समान अधिकार, नीति निर्धारण में समान भागीदारी, कानून के तहत सुरक्षा और समान कार्य के लिए समान वेतन आदि प्रदान करने से है।

प्राचीन समय से वर्तमान समय तक के इतिहास को कालखण्डों में विभक्त करने से पूर्व का काल जिसे हम आदिमानव काल के नाम से जानते हैं। इस काल में महिलाओं की स्थिति सशक्त थी। आदिमानव रूपी महिलाएँ अपने भोजन के लिए शिकार ढूँढ़ती थी एक झुण्ड में सभी के साथ रहती थी। स्त्री–पुरुष का संबंध स्वच्छंद था। इसके

उपरान्त धीरे–धीरे इनके अवस्था में भी परिवर्तन आने लगा। महिलाएँ जब गर्भवती तथा प्रसूति होने लगी तब अपने भोजन के लिए शिकार करना कठिन होने लगा, तब वे पुरुषों पर आश्रित होने लगी, बच्चों के देख–रेख के लिए घर पर रहने लगी। शिकार करना पुरुषों का कार्य हो गया। समूह में किसी भी पुरुष के द्वारा लाया गया समान समूह में एक समान रूप से वितरित किया जाता था "आदिकाल में आदिमाता, प्रकृतिदेवी, वनदेवी, सप्तमातृका आदि मातृसत्तात्मक व्यवस्था की ही देन है।"

भारत में महिलाओं की स्थिति समयानुसार परिवर्तित होती रही है। महिलाओं की स्थिति में सुधार तथा उनके समक्ष आने वाली समस्याओं तथा उसके निराकरण के लिए सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का विवेचन इस शोध–प्रबंध में किया गया है। महिलाओं के जीवन स्तर, रहन–सहन, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी स्तरों पर उनके जीवन में राज्य के अन्तर्गत सभी स्तरों पर उनके क्रिया कलाप समर्पण इन सभी का विस्तार पूर्वक समीक्षा करने का प्रयास किया गया है। आदिकाल में एक कबीला दूसरे पर हमला कर अधिपत्य जमाने लगा। कबीले पर अधिकार के साथ–साथ कबीले की महिलाओं पर भी अधिकार जमाया जाने लगा। इससे स्त्रियों की स्थिति दयनीय होने लगी। सत्ता की बागडोर महिलाओं से छूटने लगी और वे घर की चहारदीवारी में कैद होती गईं। वैदिक काल में नारी को सभी दिशाओं और क्षेत्रों में प्रगति व उन्नति करने की स्वतंत्रता थी। नारी को समाज और परिवार में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था पति, पत्नी दोनों यज्ञ में एक साथ भाग लेते थे। ऋग्वैदिक ऋचाएँ यह स्पष्ट करती है कि नारियों को शिक्षा पूरी होने के उपरान्त उनका विवाह समान गुण, कर्म, स्वभाव वाले युवाओं के साथ किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं के स्तर में गिरावट देखने को मिलती है इस काल में बाल विवाह जैसी कुप्रथाएँ महिलाओं के समक्ष एक समस्या के रूप में उभरी है। महिलाओं के शिक्षा के मार्ग में बाधाएँ आई। विधवा–विवाह में प्रतिबंध, बहु पत्नी का प्रचलन बढ़ा। एतरेय ब्राह्मण में पुत्री को विपत्ति और पुत्र को स्वर्ग कहा गया। प्राचीन काल में महिलाओं को विवाह के बाद सम्पत्ति का उत्तराधिकारी माना जाता था परंतु शादी के पूर्व सम्पत्ति का उत्तराधिकारी नहीं माना जाता वैदिक साहित्य के उपरान्त रामायण, महाभारत दो महाकाव्यों का उदय हुआ। इन महाकाव्यों के जरिए हमें सीता, कैकेयी, गंधारी, अंबा, कुन्ती, द्रोपदी जैसी महान व्यक्तित्व की स्वामिनियों के बारे में पता चला कि उन्होंने कैसे अपने अस्तित्व की परीक्षा देते हुए सबके समक्ष आज एक आदर्श के रूप में हमारे सामने हैं। बौद्ध काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी इसके बावजूद जो महिलाएँ योग्य, कुशल होती थी उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। मध्यकाल, आधुनिक काल दिल्ली सल्तनत काल, सभी कालों में हमने स्त्री के जीवन स्तर में आए उतार चढ़ाव का अध्ययन प्रस्तुत शोध में किया है। मध्यकाल में भी स्त्रियों की स्थिति खराब होती गयी। मुसलमान शासकों के आक्रमण से हिन्दू समाज का ढाँचा चरमराता गया। मुसलमानों द्वारा स्त्री को भोग विलास की वस्तु माना जाना लगा। जिससे महिलाएँ घर की चहारदीवारी में सिमटने लगी, जिससे समाज में बाल–विवाह, अशिक्षा, सती प्रथा, पर्दा प्रथा का प्रचलन बढ़ने लगा।

आधुनिक युग में महिलाओं की स्थिति पर ध्यान दिए जाने के कारण सुधार देखने को मिलता है। भारतीय संविधान में यह घोषणा की गई है कि "राज्य, धर्म, जाति, सम्प्रदाय, लिंग आदि के आधार पर किसी भी नागरिक में विभेद नहीं होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर वर्तमान समय तक में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा कई कानून और कई योजनाओं का निर्माण किया गया। संविधान के भाग–3 अनु० 14 (6) में स्त्री–पुरुष को समान रूप से कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। वर्तमान में महिलाओं को घरेलू मामलों संबंधी, व्यक्तिगत सुरक्षा–संरक्षण, जायदाद संबंधी, पंचायती राज व्यवस्था में भागीदारी और भी तमाम हितकारी कानूनों का संरक्षण प्राप्त है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन मुद्दों को मजबूत बनाने की आवश्यकता है जिनका सीधा संबंध उनके स्वावलम्बन और उत्थान से है, महिलाएँ वर्तमान समय में भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में अभी भी पीछे हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत महिलाओं के लिए विश्वभर में चलाए गए सभी समानता आंदोलनों में से महत्वपूर्ण माना जाता है। ग्रामीण महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए सबसे बड़ा सरकार द्वारा किया गया कार्य ग्रामीण स्तर पर पंचायत में 33þ महिला आरक्षण प्रदान कराना है। महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा कई योजनाओं को चलाया गया है। सरकार ने सन 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा देश के पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 33 प्रतिशत स्थान आरक्षण प्रदान किया है। महिलाओं को जागरूक करने के लिए यह क्रान्तिकारी व महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। सरकार द्वारा 2001 को राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाकर महिलाओं की स्थिति में सुधार करने की दिशा में यह भी एक महत्वपूर्ण कदम है। समाज में संकीर्ण मानसिकता की सोच रखने वालों के कारण महिलाओं का आरक्षण का भी लाभ सही मायने में नहीं मिल पा रहा है। प्रस्तुत शोध पत्र में यह तथ्य रेखांकित किया गया है कि पुरुष प्रधान समाज होने के कारण महिलाएँ उनके हाथों की कठपुतली मात्र बन कर रह गयी है। राजनीतिक कार्यों की जानकारी ज्यादा न होने के कारण पुरुष वर्ग के द्वारा उनका मार्गदर्शन होता है और वे मूकदर्शक के रूप में कार्य करती है उनके सारे अहम फैसले पुरुषों के दबाव में होते हैं।

उद्देश्य :–

1 महिला सशक्तिकरण के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करना ।

2 महिला सशक्तिकरण के वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट करना ।

परिकल्पना :–

1. भारत में संविधान के प्रावधानों के द्वारा महिलाओं सशक्तिकरण किया गया है ।

आंकड़ो का संकलन :–

प्रस्तुत शोध पत्र में द्वितीयक आँकड़ो का उपयोग सरकारी रिपोर्ट, पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं व ग्रंथों के माध्यम से किया गया है ।

भारतीय समाज में महिलाओं की दशा :–

नगरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में एक सामान्य प्रथा है कि पुरुष घर के बाहर का कार्य करता है और महिलाएं घरेलु जिम्मेदारी को निभाती हैं।

वैदिक काल :–

स्त्री और पुरुष को वैदिक ग्रन्थों में समान दर्जा प्रदान किया गया तथा हर एक देवता के साथ उसकी दैवीय शक्ति की भी कल्पना की गई है। वेदों में मंत्र की ष्टा ऋषिकाओं के रूप में भी विदुषी नारियाँ सुविख्यात हैं। धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती की ही भाँति इंद्राणी, अदिति, रोमशा, उषा, इला, विवंवारा, पृश्वि इत्यादि अनेक वैदिक देवियाँ अनेक मंत्रों की अधिष्ठात्री हैं।5

वैदिक साहित्य :–

गार्गी, मैत्रेयी जैसी सदाचार सम्पन्न दार्शनिक महिलाएँ सम्मानित एवं प्रतिष्ठित हुई। किसी शुभ कार्य अथवा यज्ञ में पति के साथ–साथ पत्नी की उपस्थिति भी महत्वपूर्ण मानी जाती थी। पत्नी के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता था। वैदिक युग में लडकियों को वर चुनने का अधिकार था। वे स्वयंवर के जरिये अपने वर का चुनाव करती थी। उस समय बाल–विवाह या सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। वैदिक युग में महिला समस्त धार्मिक अनुष्ठान की अनुगामिनी थी।6

वैदिक युग में महिला शिक्षा पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था, साथ ही ललित कलाओं आदि में भी वे निपुण रहती थी। ब्रह्मवाहिनी गार्गी उस समय के 8 प्रसिद्ध दार्शनिकों में से एक थी। इस युग की अधिकांश महिलाएँ वेद मंत्रों को याद कर लेती थी, जो उनको नित्य प्रार्थना के उपयोग में आते थे या शादी के पश्चात् पति के साथ किये जाने वाले संस्कारों में भाग लेते समय प्रयोग में लाये जाते थे।

मध्य काल :–

इस युग में भी हमारे देश में पुरुषों की भांति महिलाओं को सम्मान दिया जाता था। मुहम्मद साहब ने स्त्रियों को समाज में उचित स्थान दिलाने के लिए पूर्ण अधिकार प्रदान किये। हिन्दू एवं मुस्लिम दोनों समाजों में स्त्रियों के प्रति अवधारणा समान थी। मुस्लिम युग के प्रारम्भ से ही स्त्रियों की स्थिति हीन होती चली गयी। यद्यपि हिन्दू स्त्रियों का परिवार में सम्मान था। वे शास्त्रविद्या तथा विद्वता में अग्रणी थी, लेकिन मुसलमानों के कारण महिलाओं का सम्मान गिरता चला गया। उस समय समाज में विलासिता की प्रवृति बढ़ती चली गयी जिस कारण मुगल बादशाहों, सरदारों तथा धनवान व्यक्तियों ने स्त्रियों को केवल विलासिता की पूर्ति का साधन बना दिया था। मुगलकालीन भारत में महिलाओं की दशा और भी चिन्ताजनक हो गई थी। इस दौरान हिन्दुओं के यहां पैदा हुई बच्ची को एक अभिशाप माना जाने लगा। जन्मते ही बच्चियों का गला घोंट दिया जाता था। उस समय हिन्दुओं में देवदासी कुप्रथा भी थी।

मुस्लिम अत्याचारों के कारण बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, जौहर जैसी कुरीतियाँ अस्तित्व में आ गयी थी। बहु विवाह भी किये जाने लगे। यह हिन्दू और मुसलमान दोनों में ही प्रचलित परम्परा थी। इस युग में पुरुष प्रधान समाज में उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए उनकी रक्षा पर भी ध्यान दिया गया। उसका परिणाम यह हुआ कि उनको अपने सतीत्व की रक्षा एवं परिवार के लिए अपने दायित्वों को पूर्ण करने के लिए उनको पुरुष वर्ग पर आश्रित रहना पड़ा। इतना सब होने के अलावा भी महिलाओं पर अत्याचार और शोषण नहीं किया जाता था। परिवार की सुख शांति एवं समृद्धि के लिए उनका सदैव आदर एवं सम्मान किया जाता रहा था।

आधुनिक काल :–

आधुनिक युग के प्रारम्भ में महिलाएँ धार्मिक कृत्य, पूजा पाठ तथा उपवास करती थी। भारतीय स्वतंत्रता के बाद में महिलाओं के प्रति भारतीय समाज के दृष्टिकोण में धीरे–धीरे परिवर्तन आने लगा। लड़कियाँ माँ बाप के प्रति ज्यादा संवेदनाल होती हैं। अतः माँ–बाप का लड़कियों के प्रति स्नेह बढ गया। बाल विवाह पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया तथा विधवा विवाह को भी प्रोत्साहन मिला।

किसी भी देश के समग्र विकास के लिए महिला व पुरुष दोनों का गति से निर्बाध रूप से उन्नति के पथ पर अग्रसर होना आवश्यक है। महिलाएँ समाज की अभिन्न अंग हैं, अतः सामाजिक–आर्थिक विकास की संकल्पना महिलाओं के विकास व सशक्तिकरण के बिना पूरी करना संभव नहीं है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने भी महिलाओं के विकास को प्राथमिकता देते हुए कहा कि ''यदि आपको विकास करना है तो महिलाओं का विकास होने पर समाज का विकास स्वतः ही हो जायेगा।''

स्वंतत्रता प्राप्ति से पूर्व देश की अधिकांश महिलाएँ निरक्षर, रूढिवादी एवं परम्परागत बन्धनों में जकड़ी हुई थी। घर की चारदीवारी तक सीमित महिलाएँ अनेक प्रकार की कुरीतियों व कुप्रथाओं तथा बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा आदि का दंश झेल रही थी। समाज में विधमान महिला–पुरुष भेदभाव के कारण समय–समय पर महिलाओं को विविध प्रकार के अत्याचार, अनाचार, तिरस्कार व उपेक्षा आदि का सामना करना पड़ता था, किन्तु स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने, उनके समग्र व सन्तुलित विकास को सुनिश्चित करने व उनको विकास की मुख्य धारा में समावेशित करने हेतु उनके विधायी उपाय, कल्याणकारी योजनाओं व विकास कार्यक्रमों को मूर्त रूप प्रदान किया। यही नहीं महिलाओं को सशक्त अधिकार सम्पन्न व जागरूक बनाने हेतु देश के संविधान के अनुच्छेद 39 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि ''राज्य अपनी नीति का विशिष्ट तथा इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो।''

महिला सशक्तिकरण का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य :–

महिला सशक्तिकरण का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करने से पता चलता है कि महिलाओं को राजनीति में भाग लेने के लिए समान अवसर देने के लिए कई कदम उठाए जाने की ज़रूरत है । महिलाओं को राजनीति में भाग लेने के लिए समान अवसर देने के लिए संवैधानिक संशोधन किए गए हैं । महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में कम से कम 33þ स्थान आरक्षित किए गए हैं । महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है । महिलाओं को राजनीति में भाग लेने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है । महिलाओं को विकास एजेंडे में शामिल किया जाना चाहिए । महिलाओं को सामाजिक और राष्ट्रीय विकास के हर क्षेत्र में भागीदार बनाया जाना चाहिए ।

पंचायती राज एवं नगरीय निकायों में महिला आरक्षण का प्रावधान तथा महिला सशक्तिकरण :–

राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाओं को सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने 1992 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश की पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित कर दिये। निःसन्देह रूप से महिलाओं को जागरूक अधिकार युक्त व शक्ति सम्पन्न बनाने के ष्टिकोण से यह एक क्रांतिकारी व महत्वपूर्ण कदम है। इसी क्रम में सरकार ने 2001 को ''राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण वर्ष'' के रूप में मनाकर महिलाओं की सामाजिक आर्थिक दशा को सुधारने की दिशा में एक साहसिक कदम उठाया।

भारत में पंचायती राज संस्थाओं का आरम्भ इस ध्येय से किया गया था कि भारत की 70 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को स्वशासन का अधिकार प्राप्त हो सके, किन्तु यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि 73वें संविधान संशोधन के पूर्व तक स्वशासन का अधिकार केवल पुरुषों को ही प्राप्त माना गया महिलाओं को नहीं।

1953 में पंचायती राज व्यवस्था आरम्भ की गयी तो अल्प मात्रा में महिलाओं की सहभागिता का प्रावधान किया गया था। 1957 में बलवन्त राय मेहता समिति की अनुशंसा द्वारा प्रत्येक पंचायत समिति में महिला प्रतिनिधित्व के अभाव में दो महिलाओं को नामांकित करने का प्रावधान रखा गया। अर्थात वे ही महिलाएँ जो मात्र महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी कार्यों के लिए इच्छुक हो, को नामांकित किया जाना अत्यन्त संकीर्ण दृष्टिकोण था।

73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज अधिनियम द्वारा महिला आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान : –

नवीन प्रावधान के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में पहली बार महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थान आरक्षित किये गये हैं।

राज्य सरकार द्वारा रोटेशन पद्धति से महिला वार्ड/महिला निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किये गये हैं। महिला वार्ड या आरक्षित महिला निर्वाचन क्षेत्र से केवल महिला ही चुनाव लड सकेगी। सामान्य वार्ड से भी महिलाएँ चुनाव लड़ने के लिए स्वतन्त्र हैं। राजस्थान राज्य के सन्दर्भ में महिला आरक्षण के इस प्रावधान को देखा जाए तो महिलाओं के आरक्षण की इस व्यवस्था से राज्य के कुल 31 जिलों में से 10 जिला प्रमुख महिलाएँ होंगी। पंचायत समितियों के कुल 237 प्रधानों में से 80 प्रधान महिलाएं होंगी। इसी प्रकार कुल 9187 सरपंचों में से 3 हजार से अधिक पद महिलाओं के लिए आरक्षित किये गये हैं।

74वें संविधान सांधन अधिनियम 1992 में नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण के निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं :–

इस सांधन के तहत नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम जैसी संस्थाओं में महिलाओं के लिए कुल सीटों का कम से कम एक तिहाई स्थान आरक्षित किया गया था, जिसे वर्तमान में बढाकर 50 प्रतित कर दिया गया है। इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल है।

प्रत्येक नगर पालिका और नगर निगम के अध्यक्ष पद (मेयर या चेयरपर्सन) का कम से कम एक तिहाई हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया था, जिसे भी वर्तमान में बढाकर 50 प्रतित कर दिया गया है।

यह आरक्षण हर पांच वर्षों के अन्तराल पर रोटेन के आधार पर लागू होता है, जिससे विभिन्न वार्डो में महिलाओं को प्रतिनिधित्व का अवसर मिलता है।

ये प्रावधान महिलाओं को नगरीय निकायों में समान भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिचित करने के लिए किए गए हैं। इसमें महिलाएँ राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सकेंगी और स्थानीय शासन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगी।

महिला सशक्त होने के वास्तविक आयाम :–

पूरे विश्व में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हरिशंकर परसाई जी के व्यंग्य की पंक्ति है कि "दिवस कमजोरों के मनाए जाते हैं, मजबूत लोगों के नहीं।" सशक्त होने का आशय केवल घर से बाहर निकल कर नौकरी करना या पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलना भर नहीं है। सशक्त होने का आशय यहाँ पर उसके निर्णय ले सकने की क्षमता का आधार है कि वह अपने निर्णय स्वयं ले रही है या इसके लिए वह किसी और पर निर्भर है। इसी प्रकार आज आर्थिक रूप से सशक्त होने उसके लिए बहुत आवश्य है। यदि वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है तो वह कभी भी सशक्त नहीं हो सकेगी, इसलिए यह एक और अन्य महत्वपूर्ण पहलू है।

भारत में महिलाओं को आज सभी क्षेत्रों में वैधानिक रूप से समान अधिकार प्राप्त है लेकिन समाज में उन्हें आज भी इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। सामाजिक रूप से आज भी हमारे समाज का मूल पितृसत्ता के रूप में मौजूद है। ग्रामीण क्षेत्रों में पितृसत्तात्मक ढांचा आज भी बहुत मजबूत है। समय–समय पर खाप पंचायतें या इसकी जैसी ही अन्य संस्थाएं महिलाओं के वस्त्र पहनने को लेकर मोरल पुलिसिंग के तमाम प्रावधान सुझाते रहते हैं। धर्म भी इसमें कई बार अपनी भूमिका अदा करता है। धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश को वर्जित करना इसके ताजातरीन परिणाम हैं। सबरीमाला या अन्य धर्म के स्थलों पर प्रवेश न करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। धर्म–जाति के गठजोड़, रूढ़ि व अंधविश्वास ने महिलाओं को और शोषित किया है।

राजनीति का क्षेत्र इतिहास से वर्तमान तक पुरुषों के एकाधिकार का क्षेत्र रहा है। कभी भी इस पर महिलाओं का एकाधिकार स्थापित नहीं हुआ। राजनीति घरेलू चारदिवारी से बाहर निकल समाज को संचालित करने वाली, दिशा देने का कार्य करती है। विश्व के हर कोने में पूरे समाज में राजनीतिक पदों पर पुरुषों को ही देखा गया। भारतीय समाज भी इससे अलग नहीं है। आदिम समय से चली आ रही पुरुष प्रधान परंपरा अभी भी सतत क़ायम है। वर्तमान समय में देश की लोकसभा के कुल 542 सांसदों में से केवल 78 महिला सांसद हैं, वहीं राज्यसभा में केवल 24 सांसद हैं। कुल 28 राज्यों में वर्तमान समय में केवल 1 महिला मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान राष्ट्रपति केवल दूसरी महिला हैं जो इस पद को सुशोभित कर रही हैं। भारत में राष्ट्रपति से ज़्यादा व्यावहारिक पद प्रधानमंत्री का माना जाता रहा है, इस पद केवल एक महिला का आ पाना सब कुछ उजागर करता है।

महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्त होना उनके पूरे भविष्य को तय करता है। यदि हम अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं तो सही मायने में हम पूरी तरह से आजाद हैं। अनेक मसलों पर हमारा निर्णय निर्भरता की वजह से प्रभावित होता है। भारतीय सामाजिक संरचना में महिलायें काम करने के लिए बाहर नहीं जाया करती थीं, इसलिए कोई आर्थिक स्वतंत्रता उनके पास नहीं थी। पैसे के लिए वे अपने घर के पुरुषों यथा पिता, भाई, पति या पुत्र पर निर्भर रहा करती थीं। आज ये परिस्थितियाँ बदली हैं। महिलायें घरों से बाहर निकली हैं, पढ़ कर सभी क्षेत्रों में नौकरियां कर रही हैं। सरकारी व निजी क्षेत्र में वे समान वेतन पर काअम कर रही हैं लेकिन निजी क्षेत्रों में कई बार, कई जगहों पर उन्हें आज भी भेद–भाव का सामना करना पड़त है। एक लंबे समय तक भारतीय पुरुष व महिला क्रिकेट खिलाड़ियों की बीसीसीआई द्वारा दिए जाने वाली वार्षिक फीस में भेदभाव था, इसे अब 2022 में जाकर दूर किया गया । पूरे फिल्म उद्योग में पुरुष सितारों की फीस कि तुलना में महिलाओं की फीस काफी कम है। ऐसी असमानताएं निजी क्षेत्रों में आज बरकरार है जिसे दूर किए जाने की जरूरत है। फिल्म निर्देशन, उद्यमिता एवं कार्पोरेट के मुखिया जैसी जगहों पर इक्का–दुक्का उदाहरण छोड़ कर केवल पुरुषों का ही वर्चस्व है जो दर्शाता है कि पुरुष प्रधानता के लक्षण मौजूद हैं।

भारत मे महिलाओं के शिक्षा के प्रयास आधुनिक काल के शुरुआती दौर में ही हुए जिसका प्रसार अब लगातार देखने को मिलता है। आज के भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की बच्चियाँ भी अब पढ़ने जाने लगी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जातिगत अवधारणाएं अभी भी बलवती हैं जिनके बावजूद निचली जाति की लड़कियां भी अब प्राथमिक विद्यालय की ओर रुख कर रही हैं जो कि एक सकारात्मक संकेत है लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा आज भी घरेलू काम–काज तक ही सीमित हैं। शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की स्थितियों में अंतर आज भी विद्यमान है। पूरे देश में महिलाओं की स्थिति को सशक्त करने में इस तरह के मौजूद अंतर को पाटना अभी बेहद जरूरी है।

वर्तमान समय में महिला अपनी बेहतरी की ओर बढ़ रही है परंतु हमेशा से स्त्री की स्थिति इतनी निम्नतर नहीं थी। वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल को देखें तो स्त्री ने सम्माननीय जीवन पहले भी जिया है। एक सशक्त जीवन की गवाह वह पहले भी रह चुकी है।

उत्तरवैदिक काल से स्त्री की स्थिति में एकाएक बदलाव नहीं हुए। स्त्री पर अनगिनत अंकुश लगाए जाने लगे। मध्यकाल तक आते–आते स्त्री की स्थिति दयनीय हो चुकी थी। हालांकि भारतीय इतिहास में भक्ति आंदोलन के समय में महिलाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हुआ लेकिन लगातार हो रहे आक्रमणों के बीच महिलाओं को पुनः घरों में कैद किया गया। किसी भी आक्रमण में सर्वाधिक शोषित महिलायें ही रहीं। बाद में एक हरम में कई रानियों को रखने का रिवाज सामान्य हो गया। भोग की वस्तु के रूप में तब्दील हो चुकी स्त्री

दशा को सुधार करने की कोशिश फिर आधुनिक काल में ही शुरू हुई। एक लंबे प्रयास व आंदोलनों से गुजरते हुए महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए खुद लड़कर अपने लिए अनेक नए अवसरों का रास्ता खोला। अभी सामाजिक–आर्थिक–राजनीति और सांस्कृतिक रूप से कई जगहों पर इनके साथ समानता का व्यवहार किया जाना बाकी है, जो इस सभ्य समाज में उनका हक़ है। महिलाओं के लिए संभावनाओं का बड़ा द्वार अभी भी उनके इंतजार में है जो लगातार उनके सशक्त होते रहने से ही खुल सकेगा।

सुझाव :–

- आज प्रत्येक ग्राम में महिलाओं के शिक्षा की व्यवस्था की गई परन्तु इसका लाभ बालिकाओं को मिल पा रहा है या नहीं, सभी बालिका या पढ़ने इच्छुक महिलाएँ पढ़ रही है या नहीं इस बात का ध्यान रखते हुए उच्च शिक्षा व्यवस्था करनी होगी।
- महिला प्रतिनिधि के रूप में चुनी गई महिलाएँ अपने समान अधिकारों तथा कर्त्तव्यों का निर्वाह सही ढंग से करें इस बात का ध्यान रखना होगा।
- महिला प्रतिनिधि को अपने निर्णय किसी के दबाव से नहीं लेकर बिना पक्षपात के निर्णय लेना होगा।
- महिलाओं को सकारात्मक सोच के साथ ही हर कार्य में भाग लेना तथा कार्य करना होगा।
- पुरुषों के साथ सामाजिक हो या राजनीति सभी क्षेत्रों में सामंजस्य बैठाते हुए कार्य करना होगा।
- महिलाओं को अपने क्षमता में वृद्धि करने के लिए व्यवहारिक तथा सैद्धांतिक ज्ञान को अर्जित करना होगा।
- पंचायती राज व्यवस्था में प्रधान की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है उसे इस भूमिका का निर्वाह अच्छे से करना है। पंचायती बैठकों में नियमित रूप से भाग लेना होगा तथा अपने साथ कार्य करने वाले सहकर्मियों को हमेशा प्रोत्साहित करना होगा।
- महिला प्रतिनिधि को महिला विकास तथा पंचायत के विकास से जुड़े फैसलों को लेकर उनका अधिक से अधिक विकास करना होगा।
- पंचायत स्तर पर कार्यों का क्रियान्वयन अच्छी तरह से हो इसके लिए सहायता समूह और सक्रिय सखी मण्डलों का सहयोग लेकर कार्य करना चाहिए।
- अगर पंचायती स्तर पर कोई भी महिला अपनी किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर आये तो महिला प्रतिनिधि को उसे ध्यान से सुनकर उनके निवारण संबंधी कार्य करने चाहिए।
- महिलाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उन्हें जागरूक करने के साथ–साथ अपने जीवन निर्वाह के लिए सिलाई बुनाई, पापड़, आचार, ब्यूटीशियन, कम्प्यूटर आदि को सिखाया जाना चाहिए ताकि वे इनसे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके।
- महिला प्रतिनिधि को पंचायत द्वारा दी गई शक्तियों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। वे नियम अधिनियम को पढ़े साथ ही विभिन्न सूचनाओं तथा स्रोतों का अध्ययन कर उसका अपने पंचायत सदस्यों से आदान–प्रदान कर उन्हें भी अपने साथ–साथ जागरूक करें।
- महिला प्रतिनिधि को ग्राम पंचायत हो या ग्राम सभा की बैठक सबकी अध्यक्षता स्वयं करनी चाहिए।
- सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का महिला प्रतिनिधि हो या पुरुष प्रतिनिधि बिना किसी भेदभाव, लाभ और पक्षपात के लाभार्थी का चयन करना चाहिए।

निष्कर्ष :–

उपर्युक्त सभी बातों को जानने समझने के बाद निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि वर्तमान समय में अब महिलाएँ शिक्षा की ओर जागरूक हो रही है। अब महिला सरपंच निरक्षर नहीं है। अब वे जागरूक और सजग दिखाई दे रही है। अब उनका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। भले ही उन्हें सभी योजनाओं का ज्ञान भले नहीं हो परन्तु अब अपने कार्य को पूरी सजगता से करती है। स्थानीय स्तर पर महिला मुखिया होने के कारण महिलाएँ आसानी से अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मुखिया के पास पहुँच जाती है। प्रस्तुत शोध में हमने वैदिक काल से लेकर वर्तमान समय तक में महिलाओं के बदलते स्वरूप को देखा है। आज ग्रामीण महिला सशक्तिकरण को महिला जनप्रतिनिधियों के सहारे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है, सामान्य वर्ग की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है।महिला सशक्तिकरण के लिए ज़रूरी है कि महिलाओं को राजनीति में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए । महिलाओं को राजनीति में भाग लेने के लिए बाधाओं को दूर करना चाहिए । महिलाओं को राजनीति में भाग लेने के लिए नीति निर्माताओं, नागरिक समाज संगठनों, और आम जनता को मिलकर काम करना चाहिए । महिलाओं को राजनीति में भाग लेने के लिए उनके उत्पादकता स्तर को बढ़ाना चाहिए ।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :–

1ण शर्मा, रेखा ; ''ग्रामीण महिलाएँ एवं पंचायती राज'', रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2012, पृ. 113
2ण व्यास, आशा; ''पंचायती राज में महिलाएँ'', पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2012, पृ. 28
3ण राजकुमार, ; ''महिला एवं विकास'',अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 2010, पृ. 48
4ण मोदी, अनीता, ''महिला सशक्तिकरण विविध आयाम'', दा किंग बुक्स,जयपुर, 2011, पृ. 64
5ण सारस्वत, स्वप्निल एवं सिंह, निशांत; ''समाज, राजनीति और महिलाएँ'', राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2007, पृ. 5
6ण वर्मा, सबलिया बिहारी, सोनी, एम.एल. एवं गुप्ता संजीव; उपरोक्त, पृ.166
7ण ''रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ऑन द ट्रेनिंग ऑफ म्यूनिसिपल एम्पलोइज'', मिनिस्ट्री ऑफ हैल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली, 1963, पृ. 7
8ण चोपड़ा, जे.के.;''लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एण्ड म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेन'', कामनवेल्थ पब्लिर्स, नई दिल्ली, 2004, पृ. 79
9ण माहेवरी, एस.आर.; ''भारत में स्थानीय प्रासन'', लक्ष्मीनारायण अग्रवाल,आगरा, 1990, पृ. 226
10ण भट्टाचार्य, मोहित; ''म्यूनिसिपल गवर्नमेंट–प्रोबलम्स एण्ड प्रोस्पेक्ट्स'', रिसर्च पब्लिकेन्स, दिल्ली,1974, पृ. 73
11ण समीरा सौरभ 'ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण', अंक–3, जनवरी 2018, पृ० 14.
12ण दत्त, डॉ० विनय रंजन 'महिला सशक्तिकरण की क्रान्तिकारी पहल', प्रतियोगिता दर्पण, मार्च–2009, पृ० 142.
13ण महिला विकास एवं सशक्तिकरण, ग्रामोदय प्रकाशन, मध्यप्रदेश, प्रथम संस्करण–2016, पृ० 21.
14ण आर्या, डॉ० मुकेश कुमार 'महिला सशक्तिकरण और भारत', डायमंड पॉकेट बुक्स, नई दिल्ली.
15ण मिश्रा, डॉ० महेन्द्र कुमार 'हिन्दी रचना विकास', ग्लोबल हारमनी पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2010, पृ० 152.